व्यावसायिक वापसी के अनुदान
पात्रता संबंधी दिशानिर्देश

अंतिम अपडेट की तिथि: 7/28/2021

व्यवसायों को व्यावसायिक वापसी अनुदान (बैक टू बिज़नेस ग्रांट) कार्यक्रम के माध्यम से उपलब्ध फ़ंडों की पात्रता के लिए निम्नलिखित आवश्यकताएं अवश्य पूरी करनी चाहिए। ध्यान दें कि यह एक सारांश है, और आगे की वे शर्तें जिनका प्राप्तकर्ताओं को ज़रूर पालन करना चाहिए, व्यावसायिक वापसी अनुदान कार्यक्रम प्रमाणन और आवश्यकताएं में उल्लिखित हैं [यहां] पाई जा सकती हैं।

1) अवश्य ही कोई स्वतंत्र स्वामित्व और संचालन वाली लाभकारी कंपनी या सीमित देयता वाली कंपनी, साझेदारी, या इलिनॉय राज्य में व्यवसाय करने के लिए अधिकृत एकल स्वामित्व (सोल प्रोप्राइटरशिप); या कोई गैर-लाभकारी संस्था होना चाहिए;
2) अवश्य ही दिसंबर 2019 के दौरान या उससे पहले संचालनरत होना चाहिए।
3) कैलेंडर वर्ष 2019 में अवश्य ही सकल परिचालन राजस्व $20 मिलियन से कम होना चाहिए, या मार्च 2020 से पहले एक साल से कम समय के लिए परिचालन में एक यथानुपात (प्रो-रेटेड) राशि होनी चाहिए।
4) COVID-19 महामारी से जुड़े आर्थिक व्यवधानों के कारण शुद्ध परिचालन घाटा ज़रूर लगा होना चाहिए।
5) अवश्य ही COVID 19 महामारी के दौरान सरकारी आदेशों, सार्वजनिक स्वास्थ्य दिशानिर्देशों, या मंद (डिप्रेस्ड) उपभोक्ता मांग के कारण बंद रहा होना चाहिए या कम परिचालन वाला होना चाहिए।
6) अवश्य ही इलिनॉय के गवर्नर के कार्यकारी आदेशों द्वारा प्रख्यापित शारीरिक दूरी (सोशल डिस्टेंसिंग) संबंधी दिशानिर्देशों सहित, राज्य और संघीय सरकार के सभी प्रासंगिक कानूनों, विनियमों और कार्यकारी आदेशों का पालन करने वाला होना चाहिए।
7) निम्नलिखित व्यवसाय पात्र नहीं हैं:
    a. वे स्वतंत्र ठेकेदार या स्वतंत्र कामगार (फ्रीलांस वर्कर) जो कोई एकल स्वामित्व (प्रोप्राइटरिशप) संचालित नहीं करते;
    b. वे बाल देखभाल (चाइल्ड केयर) प्रदाता जिन्हें बाल देखभाल बहाली अनुदान; प्राप्त हुआ हो और/या जो इसके लिए पंजीकृत हैं;
    c. कोई प्राइवेट क्लब या व्यवसाय जो क्षमता के अलावा अन्य कारणों से सदस्यता को सीमित करता हो;
    d. मुख्य रूप से सट्टे वाली गतिविधियों में लगा कोई ऐसा व्यवसाय जो सामान्य व्यापार के बजाय कीमत में उतार-चढ़ाव से लाभ कमाता हो;
    e. कोई ऐसा व्यवसाय जो अपने वार्षिक शुद्ध राजस्व का एक चौथाई से अधिक उधार देने वाली गतिविधियों से अर्जित करता हो, बशर्ते कि वह व्यवसाय कोई गैर-बैंक या गैर-बैंक होल्डिंग कंपनी न हो जो कम्युनिटी डेवलपमेंट फ़ाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन (CDFI) के रूप में प्रमाणित है;
    f. कोई ऐसा व्यवसाय जो अपने सकल वार्षिक राजस्व का कम से कम 33% कानूनी जुए की गतिविधियों से प्राप्त करता हो;

g. पिरामिड वाली बिक्री में संलग्न कोई व्यवसाय, जहां किसी प्रतिभागी का प्राथमिक प्रोत्साहन प्रतिभागियों की सतत बढ़ती संख्या के द्वारा की गई बिक्री पर आधारित होता है;
h. ऐसी गतिविधियों में लगा हुआ व्यवसाय जो उस अधिकार-क्षेत्र में संघीय कानून या लागू कानून द्वारा निषिद्ध है जहां व्यवसाय स्थित या संचालित है। (इन गतिविधियों में शामिल है उत्पादन, सर्विसिंग, या अन्यथा ऐसे कानूनी उत्पादों का वितरण जो किसी गैरकानूनी गतिविधि के संबंध में उपयोग किए जाने हैं, जैसे कि नशीली दवा सामग्री बेचना या किसी ऐसे मोटल का संचालन करना जो जानबूझकर अवैध वेश्यावृत्ति की अनुमति देता है);
i. कोई ऐसा व्यवसाय जो अपनी आय का अधिकांश हिस्सा असल संपत्ति (प्रॉपर्टी) के ऐसे स्वामी के रूप में प्राप्त करता हो जो उस संपत्ति को एक किरायेदार या किरायेदारों को पट्टा समझौते (लीज़ एग्रीमेंट) के अंतर्गत पट्टे यानी लीज़ पर देता है;
j. कोई ऐसा व्यवसाय जो मुख्य रूप से शिक्षण, अनुदेशन (इंस्ट्रक्टिंग), परामर्श, या धर्म या धार्मिक विश्वासों को प्रेरित करने में संलग्न हो, चाहे वह धार्मिक या धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था यानी सेटिंग में हो;
k. कोई सरकारी स्वामित्व वाली व्यावसायिक इकाई (किसी मूल अमेरिकी जनजाति के स्वामित्व या नियंत्रण वाले व्यवसायों को छोड़कर);
l. प्राथमिक रूप से राजनीतिक या पैरवी (लॉबींग) गतिविधियों में लगा कोई व्यवसाय;
m. कोई ऐसा व्यवसाय जो तम्बाकू उत्पादों, शराब का उत्पादन या थोक में बिक्री करता हो या जो आग्नेयास्त्रों का उत्पादन या कि थोक या खुदरा बिक्री करता हो;
n. कोई नाइट क्लब या स्ट्रिप क्लब;
o. कोई रोज़गार एजेंसी;
p. कोई साहूकार की दुकान (पॉन शॉप);
q. कोई शराब की दुकान (लिकर स्टोर);
r. कोई भंडारण सुविधा या ट्रेलर-स्टोरेज यार्ड या जंक यार्ड;
s. ऊपर वर्णित के समान कोई प्रतिष्ठान; या
t. कोई ऐसा व्यवसाय जिसमें किसी बहुलांश स्वामी (मेजॉरिटी ऑनर) का प्रोग्राम के तहत किसी निदेशक, प्रमुख शेयरधारक या विभाग के नेतृत्व वाले सदस्य या विभाग के भागीदार यानी पार्टनर से वित्तीय या पारिवारिक संबंध हो।

प्राथमिकता वाले उद्योग

हमने "प्राथमिकता वाले उद्योगों" के एक ऐसे सेट की पहचान की है, जिसने COVID-19 महामारी के दौरान विशेष कठिनाई अनुभव की है और परिचालन को गति देने में मंद मांग यानी डिप्रेस्ड डिमांड या कठिनाई का अनुभव करना जारी रखा है। वे उद्योग निम्नलिखित के रूप में परिभाषित हैं। गैर-लाभकारी के लिए, किसी गतिविधि से प्राप्त राजस्व के हिस्से को निर्धारित करते समय गणना में मिलने वाले दान शामिल न करें।

1) होटल
   a. होटल, मोटल, सराय, छात्रावास, और बेड और ब्रेकफ़ास्ट सहित वे व्यवसाय जो अल्पकालिक आधार पर ठहरने की सुविधा प्रदान करते हैं।
   b. इसमें छुट्टियों संबंधी किराए (वैकेशन रेंटल) शामिल नहीं होते हैं।
2) ऐसे रेस्तरां और बार, जो इसके लिए पात्र हैं, लेकिन उन्हें कोई रेस्तरां रिवाइटलाइज़ेशन फ़ंड (RRF) अनुदान न प्राप्त हुआ हो
3) कलाओं से जुड़े संगठन और व्यवसाय जिनमें निम्निलिखित श्रेणियां शामिल होती हैं:

a. लाइव वेन्यू यानी कार्यक्रम-स्थल संचालक या प्रमोटर, नाट्य निर्माता, लाइव प्रदर्शन कला (परफ़ॉर्मिंग आर्ट्स) संगठन संचालक, और प्रतिभा प्रतिनिधि (टैलेंट रिप्रेंजेंटेटिव) जो इसके लिए पात्र हैं, लेकिन उन्हें बंद कार्यक्रम-स्थल संचालन अनुदान (SVOG) न प्राप्त हुआ हो
b. प्रदर्शन (परफ़ॉर्मिंग) या प्रस्तुति कला (प्रजेंटिंग आर्ट्स) से जुड़े संगठन
    i. कोई ऐसा व्यवसाय या संगठन जिसका प्राथमिक मिशन या उसके प्राथमिक मिशन के अभिन्न अंग के रूप में नृत्य, फिल्म, साहित्यिक कला, मीडिया कला, संगीत, रंगमंच और दृश्य कला के कलात्मक विषयों सहित जनता के लिए कला का प्रदर्शन या प्रस्तुति है।
c. कला शिक्षा संगठन
    i. कोई ऐसा व्यवसाय या संगठन जिसका प्राथमिक मिशन या उसके प्राथमिक मिशन के अभिन्न अंग के रूप में कला सीखने यानी आर्ट्स लर्निंग का प्रावधान है, या कला शिक्षा प्रदान करने पर केंद्रित अपने व्यावसायिक मॉडल का हिस्सा 50% से अधिक है।
d. कलाओं के लिए सेवा प्रदाता और संगठन
    i. वे व्यवसाय जो प्राथमिक रूप से कला क्षेत्र के लिए सेवाएं प्रदान करते हैं, जिसमें डिज़ाइन, साउंड, उपकरण किराए पर देना या तैयारी, कास्टिंग, बाल यानी हेयर और मेकअप, प्रतिभा प्रबंधन, बुकिंग, फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी और प्रिंटिंग के विक्रेता (वेंडर) शामिल हैं; और कला क्षेत्र के लिए सेवा संगठन भी जो पेशेवर सेवाएं, प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता प्रदान करते हैं।
    ii. जिन्हें अर्जित राजस्व का 50% से अधिक कला क्षेत्र के लिए ऊपर सूचीबद्ध गतिविधियों के प्रदर्शन से प्राप्त होता है, जिसमें कला संबंधी आयोजन (इवेंट), प्रदर्शन (परफ़ॉर्मेंस) और प्रदर्शनियां शामिल हैं।

4) वस्त्र (क्लोदिंग) और इलेक्ट्रॉनिक्स के खुदरा प्रतिष्ठान (ई-कॉमर्स को छोड़कर)
    a. ऐसा व्यवसाय जिसमें में कम से कम एक भौतिक प्रतिष्ठान ज़रूर होता है जो मुख्य रूप से निम्नलिखित उद्योगों में अंतिम उपयोगकर्ताओं को ऑन-साइट बिक्री के लिए वस्तुएं प्रदान करता है:
        i. वस्त्र और वस्त्र संबंधी सहायक सामग्री (क्लोदिंग एक्सेसरीज)
        ii. उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स
    b. जिसे 50% से अधिक राजस्व ऑन-साइट (यानी इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर के माध्यम से नहीं) अंतिम उपयोगकर्ताओं को वस्तुओं की खुदरा बिक्री से प्राप्त होता हो।
5) घरेलू स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं
    a. ऐसा व्यवसाय या संगठन जो प्राथमिक रूप से रोगी के घर में बीमारी या चोट के लिए स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करता है, जिसमें घाव की देखभाल, रोगी और देखभालकर्ता की शिक्षा, नसों में इंजेक्शन या पोषण चिकित्सा (न्यूट्रिशन थेरेपी), इंजेक्शन, और/या गंभीर बीमारी और अस्थिर स्वास्थ्य की निगरानी शामिल है।
    b. 80% से अधिक राजस्व अवश्य ही रोगी के घर में स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करने से प्राप्त होनी चाहिए।
6) बाल देखभाल प्रदाता
    a. केवल ऐसे देखभाल प्रदाता शामिल होते हैं जिन्हें बाल देखभाल बहाली अनुदान प्राप्त न हुए हों और/या जो इनके लिए पंजीकृत न हों, प्रदाता के रूप में जिन्हें बाल देखभाल बहाली अनुदान यानी चाइल्ड केयर रेस्टोरेशन ग्रांट प्राप्त हुए हों और/या जो इनके लिए पंजीकृत हों, वे B2B अनुदानों के लिए पात्र नहीं हैं।
7) नाई की दुकान और सैलून सेवाएं

a. ऐसा व्यवसाय या संगठन जो नीचे दिए गए प्रमाणन (सर्टिफ़िकेशन) से संबंधित बाल, नाखून और अन्य सेवाएं प्रदान करता है।
b. पात्र व्यवसायों के पास नाई (बारबर), कॉस्मेटोलॉजिस्ट, एस्थेटिशियन, नेल टेक्नीशियन, हेयर ब्रेडर के रूप में पंजीकरण का सक्रिय प्रमाणपत्र ज़रूर होना चाहिए, या बारबर, कॉस्मेटोलॉजी, एस्थेटिक्स, हेयर ब्रेडिंग और नेल टेक्नोलॉजी एक्ट 1985 के अनुच्छेद IIID के अनुसार नाई की दुकान या कॉस्मेटोलॉजी, हेयर ब्रेडिंग, एस्थेटिक्स, या नेल टेक्नोलॉजी स्टूडियो व्यवसाय संचालित करने के लिए पंजीकरण का सक्रिय प्रमाणपत्र ज़रूर होना चाहिए।

8) आंतरिक मनोरंजन
a. ऐसा व्यवसाय या संगठन जो इनडोर खेल या फ़िटनेस गतिविधियों के लिए नामित उपयोग लायक इनडोर स्थान वाली इनडोर सुविधा यानी फ़ैसिलिटी प्रदान करता है। इसमें इनडोर बोलिंग एली, स्केटिंग रिंक, ट्रैम्पोलीन पार्क, इनडोर खेल मैदान, फ़ील्ड हाउस, लेजर टैग, आर्केड और इनडोर खेल सुविधाएं शामिल हो सकती हैं।
b. सुविधा यानी फ़ैसिलिटी की क्षमता, ट्रैम्पोलीन पार्कों और इनडोर खेल के मैदानों को छोड़कर, जो कि क्षमता पर ध्यान दिए बगैर सभी पात्र हैं, अवश्य ही 100 लोगों से अधिक होनी चाहिए।
c. इनडोर मनोरंजन गतिविधियों और जूता किराये पर देने जैसी संबद्ध सेवाओं में भाग लेने के लिए 50% से अधिक राजस्व टिकटों और शुल्कों से आता हो।

9) जिम और फ़िटनेस सेंटर
a. ऐसे व्यवसाय में कम से कम एक भौतिक प्रतिष्ठान ज़रूर होता है जो ऑन-साइट शारीरिक फ़िटनेस से संबंधित गतिविधियों में भाग लेने के लिए सदस्यों या आम जनता के लिए खुला होता है।
b. ऐसे व्यवसाय के पास जनता के लिए खुले सभी स्वास्थ्य और फ़िटनेस सेंटरों के लिए आवश्यक चालू सदस्यता अनुबंध या कि देयता छूट होती है।
c. इसमें ऐसे व्यवसाय शामिल नहीं होते जो विशेष रूप से सचल (मोबाइल) या दूरस्थ (रिमोट) सेवाएं प्रदान करते हैं और कोई ऐसा भौतिक प्रतिष्ठान संचालित नहीं करते हैं जहां सदस्य या जनता ऑन-साइट शारीरिक फ़िटनेस गतिविधियों में संलग्न हों;
d. फ़िटनेस गतिविधियों में भाग लेने के लिए 80% से अधिक राजस्व सदस्यता शुल्क सहित शुल्कों से प्राप्त होता हो।

10) पर्यटन और समूह परिवहन (टैक्सी, लिमो या राइडशेयर को छोड़कर)
a. इसमें पर्यटन प्रचार (प्रमोशन), कैंपग्राउंड, कृषि-पर्यटन, पर्यटक गाइड, टूर ऑपरेटर, ट्रैवल एजेंट, अल्पकालिक वाहन किराए (रेंटल), चार्टर बसें, अंतर-शहरी और ग्रामीण बसें तथा शटल सेवाएं शामिल हैं।
b. इसमें टैक्सी, लिमो, राइडशेयरिंग या ऐसे व्यवसाय शामिल नहीं हैं जो उन क्षेत्रों में स्थित हैं जहां पर्यटकों बार-बार आते हों मगर जो ऊपर वर्णित पर्यटन संबंधी गतिविधियों में भाग नहीं लेते हैं।

11) दर्शक और सामाजिक आयोजन सहयोगी सेवाएं
a. उपकरण किराए पर देने यानी इक्विपमेंट रेंटल या तैयारी, बाल और मेकअप, कैटरर, फोटोग्राफर/वीडियोग्राफर, प्रमोटर, इवेंट प्लानर, फूलवाले, और प्रिंटर सहित आयोजनों (इवेंट) के लिए सेवाएं प्रदान करने वाले व्यवसाय।
b. 50% से अधिक राजस्व उन गतिविधियों को करने से प्राप्त होता है जो किसी आयोजन यानी इवेंट के उद्देश्य से ऊपर सूचीबद्ध हैं।
c. इसमें बंद कार्यक्रम-स्थल संचालक अनुदान यानी शटर्ड वेन्यू ऑपरेटर ग्रांट (SVOG) के लिए पात्र कार्यक्रम-स्थल (वेन्यू), व्यवसाय या संगठन शामिल नहीं हैं।

12) वे संग्रहालय और मूवी थियेटर संचालक जो पात्र हैं लेकिन जिन्होंने कोई बंद कार्यक्रम स्थल संचालक अनुदान (SVOG) प्राप्त नहीं किया है।